

ई0मेल



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्रांक - न0नि0-50-58/2021-541

प्रेषक,

सचिव,

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)

बिहार राज्य।

पटना, दिनांक - 17/02/2022

विषय: नवगठित नगर निकायों (नगर पंचायत/ नगर परिषद्/नगर निगम) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) का गठन।

प्रसंग: आयोग का पत्रांक 423 दिनांक 02.02.2022

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न समय सारणी के अनुसार नवगठित नगर निकायों के वार्डों के परिसीमन/गठन का आदेश आयोग द्वारा दिया गया था। उक्त आदेश के आलोक में सूची-01 एवं सूची-02 में अंकित सभी नगर निकायों में परिसीमन/ वार्ड गठन का कार्य समाप्त हो चुका है तथा गठित वार्डों का प्रारूप प्रकाशित हो चुका है। गठित वार्डों के प्रारूप प्रकाशन पर सभी हितधारकों से दिनांक 24.02.2022 तक आपत्तियों को प्राप्त किया जाना है, तदनुसार इन आपत्तियों का निष्पादन दिनांक 13.02.2022 से दिनांक 26.02.2022 तक पूर्व निर्धारित है। चूंकि वार्ड गठन के विरुद्ध प्राप्त होने वाले दावा एवं आपत्ति का निष्पादन सावधानी पूर्वक किया जाना है। इस हेतु आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत दावा/आपत्ति के निष्पादन की अवधि को बढ़ाते हुए संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किये गये हैं :-

क्र0	कार्यक्रम	पूर्व निर्धारित समय सीमा	संशोधित समय सीमा
1	प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन	13.02.2022 से 26.02.2022	13.02.2022 से 05.03.2022
2	वार्डों की सूची तैयार कर उस पर प्रमण्डलीय आयुक्त का अनुमोदन	28.02.2022 से 05.03.2022	07.03.2022 से 14.03.2022

क्र०	कार्यक्रम	पूर्व निर्धारित समय सीमा	संशोधित समय सीमा
3	अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन	08.03.2022	21.03.2022
4	राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) एवं राज्य निर्वाचन आयोग को जिला गजट में प्रकाशित वार्डों की सूची एवं मानचित्र प्राप्त कराने की अंतिम तिथि	11.03.2022 तक	25.03.2022 तक

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए एवं तत्संबंधी निदेश से सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाए।

2. सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (नगरपालिका) एवं नोडल पदाधिकारी (नगरपालिका) प्राप्त परिवारों का निष्तारण समाधान पोर्टल के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे। इस क्रम में खारिज किये जाने वाले परिवार के संबंध में दो दिनों के अन्दर सकारण आदेश की प्रति समाधान पोर्टल पर अनिर्वाय रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक - न०नि०-५०-५८/२०२१-५४१

पटना, दिनांक - 17/02/2022

प्रतिलिपि - आई.टी. प्रबंधक को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - न०नि०-५०-५८/२०२१-५४१

पटना, दिनांक - 17/02/2022

प्रतिलिपि - प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव।

ज्ञापांक - न०नि०-५०-५८/२०२१-५४१

पटना, दिनांक - 17/02/2022

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव।

९

नवगठित नगर निकाय के वार्डों के गठन हेतु समय सारिणी।

1. वार्डों का परिसीमन एवं गठन — 03.02.2022 से 10.02.2022 तक ।
2. गठित वार्डों का प्रारूप प्रकाशन — 11.02.2022 ।
3. आपत्तियों की प्राप्ति की अवधि — 11.02.2022 से 24.02.2022 तक ।
4. प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन — 13.02.2022 से 26.02.2022 ।
5. वार्डों की सूची तैयार कर उस पर प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन — 28.02.2022 से 05.03.2022 ।
6. अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन — 08.03.2022 ।
7. राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) एवं राज्य निर्वाचन आयोग को जिला गजट में प्रकाशित वार्डों की सूची एवं मानचित्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि — 11.03.2022 तक ।